

## नियम व शर्तें :

- प्राक्कलन की घनराशि जमा करने एवं उपभोक्ता को निम्न प्रपत्र/औपचारिकतायें पूर्ण करना आवश्यक
1. परिसर से सम्बन्धित मूल्यांकित के प्रपत्रों (जैसे रजिस्ट्री, बैनामा या पावर ऑफ एटार्नी) की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत होगी। यदि आवेदक किरायेदार है तो किराये की रसीद, किरायानामा एवं मकान परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र के फोटो सहित प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  2. फैंटरी का लै-आर्डर प्लान जिसमें कार्यालय एवं मीटर कक्ष आदि का सम्पूर्ण विवरण दिया हो, प्रस्तुत करना होगा।
  3. प्रस्तावित इकाई को चलाने हेतु जिला उद्योग केन्द्र का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  4. प्रस्तावित विधा को चलाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  5. रिहायशी क्षेत्र में औद्योगिक संयोजन लेने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  6. यदि संयोजन किसी फर्म के नाम स्वीकृत है तो उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त फर्म के सक्षम अधिकारी पार्टनर द्वारा अनुमति हेतु पावर ऑफ एटार्नी तथा फर्म की नियमावली (Memorandum & Article of Association) प्रस्तुत करनी होगी।
  7. प्राक्कलन की घनराशि किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक जमा की जा सकती है।
  8. प्राक्कलन की घनराशि टी.सी. जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका मार निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
  9. यदि आपके परिसर में पहले से कोई विद्युत संयोजन लगा हुआ है अथवा परिसर पर विद्युत विभाग की कोई बकाया घनराशि तो नया संयोजन नहीं दिया जायेगा।
  10. अनुबन्ध हेतु रुपये 100/- के नाम जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर प्रमाणित फोटो चस्पा करके लाना होगा एवं दो गवाह जिनकी मालीमालि परिचित हों तथा आगरा जनपद के मूल निवासी हों, अपने साथ लाने होंगे।
  11. परिसर में स्थापित किये गये मोटरों का समस्त विवरण मय मोटर क्रमांक मेक आर.पी.एम. एम्पीयर आदि विवरण प्रस्तुत अनिवार्य है।
  12. 400 वोल्ट एवं उससे अधिक विभव के वी. एण्ड एल. फार्म अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे तथा स्थापित किये गये सभी मोटरों का ISI मार्क होने चाहिये।
  13. उपभोक्ता द्वारा लगाये गये सभी संयंत्रों जैसे सी.टी., पी.टी. ट्रांसफार्मर्स एवं अन्य उपकरणों की टैस्टिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  14. 400 वोल्ट से अधिक विभव के विद्युत अवमुक्त करने से पूर्व निदेशालय, विद्युत सुरक्षा, लखनऊ का अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकृत ड्राइंग प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  15. विद्युत निरीक्षक, आगरा के पक्ष में देय शुल्क का ट्रेजरी चालान जमा करना होगा।
  16. यदि 2 माह के लगातार बिलों की घनराशि जमानत घनराशि से अधिक है तो अतिरिक्त जमानत घनराशि जमा करनी होगी।
  17. विद्युत आपूर्ति निगम में लागू रेट शिड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
  18. आपको अग्निशमन यंत्र भी नियमानुसार लगाने होंगे।
  19. निगम द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युत मार अवमुक्त (रिलीज) किया जायेगा।

SC No - 2214/391654 Ino-48/TC

पावती दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा मूल प्रति  
उपभोक्ता कार्डिंग हेतु

पुस्तक सं० A 734530 / 13-14/डी० वी० वी० एन० एल० रसीद सं० 47

1. इकाई/खण्ड का नाम 200 sq ft
  2. जमा खाता .....
  3. उपभोक्ता का नाम व पता Shri. Chaita Ramdasrao's No. Chandan Smt.
  4. सर्विस कनेक्शन संख्या Plot No- 87 Km No-146 संख्या Ways. Rajpuri
  5. प्राप्त राशि (अंकों में) ₹ 149388/- (शब्दों में) .....
  7. वास्तु
    - (1) विद्युत मूल्य ₹ 149388/-
    - (2) विद्युत कर ₹ 04 free 80 by nine thousand three hundred 47 C.
    - (3) बकाया ₹ 5000/-
    - (4) अन्य ₹ 1500/- (By cheque No- 217805/1)
- कुल योग ₹ 50 - 15000 -  
 छूट ₹ 127888 -  
 शुद्ध देय ₹ 149388 -

दिनांक.....

इस आराय से प्रेषित है

देने का कष्ट करें।



80 संग्रहकर्ता नाम एवं पता

30/11/11

आगरा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा अविशासी अमि

विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम)  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
सिकन्दरा, आगरा

Book No-  
2214

पंजीकृत

पत्रांक 7746 / वि.वि.ख.(प्र.) आ./टी-5 D-98 (2016-17) दिनांक 30/12/2016

विषय : विद्युत संयोजन लेने हेतु नियम व शर्तें

श्री/श्रीमती शम लवानि मौरा डाम्नी चक्य  
वर्तमान स्वीकृत भार 05 kW  
अतिरिक्त भार -  
सिंहें वाता सं०-83, वसराज०-146  
मौजा-हरजई डामशाबाद शौड  
कुल भार 05 kW  
आगरा

विद्युत भार स्वीकृत संख्या 7724 / वि.वि.ख.(प्र.) आ. दिनांक 29/12/16  
औद्योगिक-हा.पा./कि.बा./के.वी.ए. 05 kW संयोजन सं० New/can  
प्रक्रमण शुल्क रसीद सं० दि. विधा (CMV-4B)

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विद्युत भार की अक्मुक्ति हेतु एल प्रणाली/11 के.वी.ए. प्रणाली के तहत आपको निम्नलिखित शर्तें/औपचारिकतायें पूर्ण करना आवश्यक है एवं निम्न विवरणानुसार धनराशि जमा करनी होगी - यदि समय समय पर नियमानुसार मूल्य वृद्धि होती है तो विभागीय लागू नियमों के अन्तर्गत देय धनराशि का अन्तर आपको देना होगा व नियमों का पालन भी करना होगा।

1. सर्विस कनेक्शन व्यय :

(1) स्थायी व्यय (फिक्सड चार्जेज)	₹ 5000 = 00
(2) परिवर्तनीय व्यय	₹ -
(3) (एल.टी/एच.टी. उपसंस्थान) / क्षमता वृद्धि	₹ 1,27,088 = 00
(4) मीटर/मीटरिंग चार्ज	₹ -
(5) सिस्टम लोडिंग चार्जेज @ 300/- रु. प्रति के.वी.ए. की दर से 0.5 kW के.वी.ए.	₹ 1500 = 00
(6) अन्य चार्जेज (यदि हों)	₹ -
कुल योग	₹ 1,34,308 = 00

(1) जमानती धनराशि ₹ 3000/- प्रति HP/KW/KVA की दर से	₹ 15,000 = 00
(2) घटायें पूर्व में जमा की गई प्रतिभूति धनराशि (मूल प्रति दिखाने पर ही कम की जायेगी)	(-) ₹ -

जमा की गई धनराशि का विवरण

(1) रसीद संख्या	दिनांक	रुपये
(2) रसीद संख्या	दिनांक	रुपये

कुल योग ₹ 1,49,308 = 00

रुपये (शब्दों में) एक लाख उनचास हजार तीन सौ अठ्ठासी मात्र।